न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार, आर ए एस
वाद संख्या :– 43/2023

शीर्षक

1. शिव कुमार पुत्र हरबक्स उम्र–व्यस्क, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम गंगा मार्केट वार्ड नं0 12, शाहपुरा तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण (राज०)

–वादी

बनाम

1. महेन्द्र कुमार पुत्र हरबक्स, जाति ब्राहमण उम्र 60 साल, निवासी वार्ड नं0 12 गंगा मार्केट शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण
2. श्रीमती शौभा मीणा पत्नि मालीराम मीणा जाति मीणा निवासी सताना तहसील विराटनगर जिला जयपुर
3. उपपंजियक पंजियक कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर, (राज०)

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट 1955

निर्णय दिनांक 13/11/2024

प्रकरण संक्षेप्त में इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नं0–4119 रकबा 0.4900 है० वाकै ग्राम शाहपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र–शाहपुरा, तह० शाहपुरा, जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है जिसकी वर्तमान खातेदारी में वादी का 2/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0–1 का हिस्सा 2/5 एवं प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 1/5 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। एवं मौके पर अपने अपने हिस्से अनुसार हाल आबाद काबिज काश्त होकर करते आ रहे है।

यह कि जिमन नं0–1 में वर्णित आराजी भूमि का आज तक वैधानिक बंटवारा नही हुआ है। वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमे वादी अपने हिस्सेनुसार हाल आवाद काविज काश्त होकर काश्त करता आ रहा है प्रतिवादी संख्या 1 व 2 आये दिन सींव व डौल विवाद करते रहते है एवं वादी को उसके हिस्से से जबरन बेदखल करने की धमकी देते रहते है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 वादी के कब्जे काश्त में बेजा मजाहमत उत्पन्न करने लग गये है जिससे शामिल में काश्त किया जाना सम्भव नही रहा है।

यह कि वादग्रस्त भूमि हाल आराजी खसरा नम्बर 4119 रकबा 0.49 है0 के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम रोड स्थित है वादी एवं प्रतिवादीगण ने दक्षिण से उतर भूमि को अपने हिस्सेनुसार मौके पर बांट रखा है ताकि किसी भी खातेदार को अपनी भूमि में आवा जाही करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही हो भूमि के दक्षिण में आम रास्ता रोड स्थित है जिससे वक्त वादग्रस्त भूमि का दक्षिणी सिरा रोड से लगता हुआ है वादी एवं प्रतिवादीगण ने भूमि को उतर से दक्षिण रास्ते से लगती हुये टुकडों में अपने हिस्सेनुसार बाट रखा है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने मौके पर उतर से दक्षिण हिस्सेनुसार भागों में भूमि को बांट रखा है जिससे सभी खातेदारी की भूमि दक्षिण में स्थित रोड से लगती हुई है

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर–ग्रामीण)

यह कि अर्सा दो दिन पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने तीर चार अजनबी व्यक्तियों को लेकर भूमि भूमि पर आये एवं भूमि के दक्षिण में रास्ते से लगती हुई भूमि की नाप जोख करने लगे तो वादी ने नाप जोख करने का कारण पूछा तो प्रतिवादीगण एकदम से नाराज हो गये तथा आवेश में आकर वादी के साथ आमादा फिसाद हो गये तथा एलानियां धमकि दी कि वे आराजी मुतनाजा का बिना विधिक बंटवारा कराये ही विश्ष्टि भू भाग को अजनबी व्यक्तियों को बेचान कर उनके पक्ष में अन्तरण डीड पंजीबद्व करवायेगे एवं भूमि को भारग्रस्त कर देगें व विश्ष्टि भू भाग पर अजनबी क्रेतागणों का कब्जा कराकर वादी को उसके हिस्से से जबरन बेदखल कर देगें एवं विश्ष्टि भू भाग पर पुख्ता निर्माण कार्य कर लेगें।

यह कि प्रतिवादीगण अपने उक्त अवैध मनसूबों में सफल हो गये ओर उन्होनें आराजी मुतनाजा का बिना विधिक बंटवारा करवाये ही आराजी मुतनाजा के विश्ष्टि भू भाग को बेचान अजनबी व्यक्तियों को कर उनके पक्ष में अन्तरण डीड पंजीबद्व करवा कर व आराजी के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करवा कर वादी को आराजी मुतनाजा से जबरन बेदखल कर आराजी मुतनाजा के विश्ष्टि भू भाग पर पुख्ता निर्माण कर लेगे तो इससे वादी के खातेदारी हक व अधिकारों का हनन होगा जिससे वादी को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धन राशि के रूप में किया जाना सम्भव नही हो सकेगा तथा पक्षकारों में अनावश्यक मुकदमे बाजी बढेगी जिस कारण वादी को यह वादपत्र प्रतिवादी सं0 1 व 2 के विरूद्व आराजी का बंटवारा करवाने व उन्हे स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने हेतु पेश किया जाना आवश्यक एवं लाजमी हुआ।

यह कि बिना वाद कारण वादपत्र के जिमन नम्बर 1 लगायत 5 में वर्णितानुसार आराजी मुतनाजा का संयुक्त खातेदारी की भूमि होना एवं शामिल में काश्त करना एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा आराजी मुतनाजा के विश्ष्टि भू भाग को अजनबी व्यक्तियों को बेचान करने के लिये नाज जोख करने एवं वादी को उसके हिस्से से जबरन बेदखल करने की धमकी दिये जाने एवं आराजी मुतनाजा के विश्ष्टि भू भाग पर निर्माण किये जाने की धमकी दिये जाने से उत्पन्न होकर वादपत्र अन्दर मियाद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश किया गया है।

यह कि वादी प्रश्नगत आराजी मुतनाजा का रिकार्डेड सह खातेदार होने से बंटवारा करवाने का अधिकारी है एवं प्रतिवादीगण द्वारा वादी के हिस्से के उपयोग उपभोग में मजाहमत उत्पन्न करने के कारण वादी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है। यह कि हाल आराजी खसरा नं0 4419 रकबा 0.49 है0 स्थित वाकै ग्राम शाहपुरा का वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य राजस्व रिकार्ड के अनुसार दक्षिण से उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित रास्ते से लगते मुताबिक राजस्व नियमावली के अनुसार कानूनी बंटवारा किया जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे एवं तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा पृथक पृथक लगान का निर्धाण किया जावे। प्रतिवादीगण को सदैव सदैव के लिये पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के हिस्से में आयी भूमि के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नही करे ना ही वादी के हिस्से की भूमि पर किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण करे ना तो ऐसा स्वयं करे ना ही अपने नौकर एजेन्ट से व स्थानापन्नो से करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गये। दिनांक 12.10.2023 को प्रतिवादी सं0 01 लगायत 02 की ओर से श्री दीपक शर्मा एड. ने यूटी दी। दिनांक 15.03.2024 को प्रतिवादी संख्या 3 व 4 बावजूद तामिल व सुचना के उपस्थित नही जिनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी । दिनांक 31.07.2024 को वकील प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा व वकालतनामा पेश किया गया। दिनांक 07.10.2024 को वकील वादी एवं प्रतिवादी ने पक्षकारान में राजीनामा होने से राजीनामा अनुसार बंटवारा/कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाने हेतु सहमत प्रदान की। प्रकरण में प्रकरण में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी ने दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से बंटवारा प्रस्ताव

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर-ग्रामीण)

प्राप्त करने हेतु निवेदन किया । पत्रावली का अवलोकन किया वाद पत्र बंटवारा का होने से प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को बंटवारा प्रस्ताव भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया । तहसीलदार शाहपुरा ने अपने पत्र कमांक भू0अ0/2024/4949 दिनांक 05.11.2024 के द्वारा बंटवारा प्रस्ताव प्रेषित किये गये । वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी ने न्यायालय उपस्थित होकर मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार दावा अंतिम डिक्री किए जाने का निवेदन किया गया तथा अपनी सहमति प्रदान की। पत्रावली का अवलोकन किया गया । बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में सभी खातेदारो को पक्षकार बनाया गया है तथा मुताबिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार एवं तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा/कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार बंटवारा प्रस्ताव सही होने से दावा अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के फलस्वरूप तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नं0–4119 रकबा 0.4900 है० वाकै ग्राम शाहपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र–शाहपुरा, तह० शाहपुरा, जिला जयपुर खातेदारान के मध्य बंटवारा निम्नानुसार कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

1. महेन्द्र कुमार पुत्र हरबक्श हिस्सा पूर्ण जाति ब्राहमण सा0 देह खातेदार के हिस्से में ख0न0 4119/1 रकबा 0.1960 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।
2. शिव कुमार पुत्र हरबक्श हिस्सा पूर्ण जाति ब्राहमण सा0 देह खातेदार के हिस्से में ख0 न0 4119/2 रकबा 0.1960 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।
3. शोभा मीणा पत्नि मालीराम मीणा हिस्सा पूर्ण जाति मीणा निवासी सताना तहसील विराटनगर जिला जयपुर खातेदार के हिस्से में ख0 न0 4119/3 रकबा 0.0980 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। वादी/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे से आई भूमि में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13/11/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(संजीव कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर–ग्रामीण)